

अधिसं० :- ICDS/10010/04-2023..... 4056

अधिसूचना

भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । -

- (1) यह नियमावली "बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2025" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम 2 के उपनियम (iv) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम 2(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(iv) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय ।"

3. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम 3 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"3. संवर्ग की संरचना :- यह एक राज्यस्तरीय अराजपत्रित संवर्ग होगा, जिसकी संरचना निम्नवत् होगी"-

क्र०सं०	कोटि का नाम	स्तर	प्रास्थिति
1	2	3	4
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
(घ)	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

4. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय सवंग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम 5 के उपनियम (1) एवं (5) का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (1) एवं (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

5(1) "निम्नवर्गीय लिपिक" के 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह "घ" के वैसे कर्मी, जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हो, से बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्याचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।"

5(5) "सम्यक जांचोपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी।"

5. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय सवंग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम-9 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम-9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

9. "परिवीक्षा अवधि।- सीधी भर्ती से नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इसे 01 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकेगी।"

6. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय सवंग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम-10 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

10. "विभागीय परीक्षा।- सीधी भर्ती से नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा, विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, किया जा सकेगा।"

7. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय सर्वग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम-13 के उपनियम (2) का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली के नियम 13 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
“(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।”
8. बिहार समेकित बाल विकास लिपिकीय सर्वग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 के नियम 14 का विलोपन-
उक्त नियमावली के नियम 14 को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(योगेश कुमार सागर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञांपांक- ICDS/10010/04-2023.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञांपांक- ICDS/10010/04-2023.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञांपांक- ICDS/10010/04-2023.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञांपांक- ICDS/10010/04-2023.....

4056

दिनांक..... 17/06/25

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/6/25

सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Bihar
Department of Social Welfare

File No.:- ICDS/10010/04-2023. 4056

Date 17/06/25

Notification

In exercise of the powers conferred under the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre Rules (Recruitment and Service Conditions), 2014.

1. Short name, extent and commencement.-

- (1) These rules may be called "Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) (Amendment) Rules 2025".
- (2) It shall extend to whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Substitution of sub-rule (IV) of rule 2 of Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014. Rule 2 (IV) of the said rules will be substituted by the following:-

"(iv) "Appointing Authority" means the Director, ICDS Directorate."

3. Substitution of Rule 3 of Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014. Rule 3 of the said rules will be substituted by the following:

"3. Structure of the cadre: This will be a state level non-gazetted cadre, the structure of which will be as follows"-

Sl.No.	Name of Category	Level	Cadre
(a)	Lower division clerk	Basic grade	Non-gazetted
(b)	Upper division clerk	First promotion level	Non-gazetted
(c)	Head clerk	Second promotion level	Non-gazetted
(d)	Office Superintendent	Third promotion level	Non-gazetted

4. Substitution of sub-rules (1) and (5S) of the Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre Rules, 2014.- Sub-rules (1) and (5) of Rule 5 of the said rules shall be substituted by the following:-

5(1) "85% of the posts of Lower Division Clerk shall be filled through direct recruitment and 15% of the posts shall be filled from among the employees of Group "D" who are eligible for appointment to the post of Clerk, in order of seniority, without any examination.

The dependents of such Government servants who died during service may be considered for appointment on compassionate grounds against the vacant posts available for direct recruitment on fulfilling the required criteria, for which the recommendation of the Commission will not be required.

Provided that after the appointment of dependents of Government servants who died in their service period requisition for the remaining vacancies of each calendar year shall be sent to the Commission by the month of December of that calendar year."

(5) "The appointment shall be made by the Appointing Authority after due enquiry."

5. **Submission of Rule 9 of the Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service conditions) Rules, 2014.** Rule-9 of the said Rules shall be substituted by the following:-

(9) "Probation period - Lower Division Clerks appointed through direct recruitment will be on probation for one year. If the Services is not satisfactory during the probation period, it may be extended for one more year for reasons to be recorded. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service can be terminated by the appointment authority."

6. **Substitution of Rule-10 of the Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service conditions) Rules, 2014.** Rule-10 of the said Rules shall be substituted by the following:-

(10) "Departmental Examination- Lower Division Clerks appointed through direct recruitment will have to pass the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Revenue Board, Bihar. The subjects, syllabus and procedure of the departmental examination may be determined by the Revenue Board, in consultation with department and with the consent of the General

7. Substitution of sub-rule (2) of Rule-13 of the Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service conditions) Rules, 2014.- Sub-rule (2) of Rule-13 of the said Rules shall be substituted by the following:

(2) "A Departmental Promotion Committee shall be constituted by a separate order by the department."

8. Omission of Rule 14 of Bihar Integrated Child Development Clerical Cadre (Recruitment and Service conditions) Rules, 2014-

Rule 14 of the said rules shall be omitted.

By order of the State of Bihar
Sd/-

(Yogesh Kumar Sagar)
Joint Secretary of Government
Department of Social Welfare

Memo No:- File No.:- ICDS/10010/04-2023.

Date _____

Copy to:- E-gazette Cell, Finance Deptt. Govt.of Bihar, Patna With C.D and Hard Copy for publication in Bihar Official Gazette.

Sd/-

Joint Secretary of Government

Memo No:- File No.:- ICDS/10010/04-2023.

Date _____

Copy to:- Additional Chief Secretary, Cabinet Secretariat / Additional Chief Secretary, General Administration Department/ Principal Secretary, Finance Department / All Divisional Commissioner / Director, Directorate of ICDS / All District Magistrate / All Dy. Development Commissioner/ All DPOs / All CDPOs for information.

Sd/-

Joint Secretary of Government

Memo No:- File No.:- ICDS/10010/04-2023.

Date _____

Copy to:- Personal Secretary to Minister, Deptt. Of Social Welfare/ Personal Secretary to Add. Chief Secretary of Social Welfare Deptt. And All Departmental Officers for Information.

Sd/-

Joint Secretary of Government

Memo No:- File No.:- ICDS/10010/04-2023.

Date 17/06/25

Copy to:- IT Manager, Social Welfare Department, Bihar, Patna for uploading on the departmental website.

16/6/25
Joint Secretary of Government